न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3162–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्र, इन्दौर प्रकरण कमांक 16/निगरानी/11–12.

.....

1– कमलाबाई बेवा भोलाराम वर्मा

2– उमाशंकर पिता स्व. भोलाराम वर्मा

3– रविशंकर पिता स्व. भोलाराम वर्मा

4– राजेन्द्र पिता स्व. भोलाराम वर्मा

5– संजय पिता स्व. भोलाराम वर्मा

निवासीगण 306, बड़ी ग्वाल टोली

इन्दौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शंकर पिता सुखराम

2– हुकुमचंद पिता सुखराम

3– राजाराम पिता सुखराम

4– शिवप्रसाद पिता सुखराम

5– कलाबाई पति सुखराम

निवासी गीतानगर पिपल्याहाना, इन्दौर

6– गीता नगर इन्दौर गृह निर्माण सह.संस्था मर्या.

इन्दौर तर्फे राजेश कुमार पिता रमेशचन्द्र

कार्या. 25 शिवविलास पैलेस, इन्दौर

निवासी 2/9, यशवंत निवास रोड, इन्दौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री श्रृद्धानन्द मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 33/अ–6/84–85 में पारित आदेश दिनांक 29–10–85 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष निगरानी दिनांक 29–9–11 को लगभग 26 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 16/निगरानी/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 23–7–2012 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदकगण की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के स्वत्व की भूमि पर हेरा फेरी कर अवैधानिक रूप से नामान्तरण आदेश पारित किया गया है । आवेदकगण की ओर से लगभग 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि अवधि बाधित है । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–85 अन्तिम स्वरूप का आदेश है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाना चाहिए थी, निगरानी पोषणीय नहीं होने से निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी केवल अवधि बाह्य प्रस्तुत करने के कारण निरस्त की गई है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनेक न्याय दृष्टांत हैं कि निगरानी समय–सीमा के बिन्दु पर निरस्त नहीं की जाकर गुण–दोष पर निराकृत करना चाहिए । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमियां हैं, उक्त भूमियों पर उनके भाईयों द्वारा

धोखाधड़ी कर अपना नामान्तरण करा लिया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर निगरानी निरस्त करने से आवेदकगण के विरूद्ध घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, और अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर आवेदकगण को स्वत्व से वंचित किया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–7–12 को आदेश पारित कर निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण एवं तहसीलदार का आदेश अपील योग्य होने से निरस्त की गई है, जबकि तहसीलदार द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष स्पष्ट किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा जिस नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 33/अ–6/1984–85 में दिनांक 29–10–85 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, वह प्रकरण पंजीबद्ध ही नहीं हुआ है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रारम्भ से ही पूर्णतः अवैधनिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय सीमा का बंधन नहीं रह जाता है तथा ऐसे आदेश को किसी भी समय व किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है । वैसे भी तकनीकी आधार पर अवैधानिक आदेश को स्थिर रखना वैधानिक कार्यवाही नहीं है । इसके अतिरिक्त अवैधानिक आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने का अधिकार अपर कलेक्टर को प्राप्त है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–12 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोष पर निराकरण करने हेतु अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर